The 796th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 23st May, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. **Case No 11272/2023 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Gudeha Lukampur Sand Quarry in an area of 5.20 ha. (78000 cum per year) (Khasra No. 328, 956), Village-Gudeha, Lukampur, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP) [472905] (Query Reply) (EIA).**

Earlier this case was discussed in 752th SEAC Meeting dated 16-05-2024 wherein following query was issued

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया लीज क्षेत्र में जलभराव है अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से लीज क्षेत्र के जियोटेग फोटोग्राफ सहित खनिज अधिकारी से उत्खनन की संभावना के संबंध में प्रतिवेदन के साथ ही पिछले 03 वर्षों का उत्पादन सत्यापित करा कर के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

ADS

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP's representative from M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava. PP submitted the Mining Officer's letter regarding sand availability & Geo tagged photographs of the proposed site.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- कटनी (मध्य-प्रदेश) का पत्र क्रमांक 1837 दिनांक 21/04/2025 के माध्यम से बताया कि "*गुड़ेहा लुकामपुर, खसरा क्रमांक 956, 328, रकवा - 5.2 हेक्टे. , खदान क्षेत्र के Geotag फोटो संलग्न । निरीक्षण के समय जल भराव होना पाया गया है। ग्रीष्मकाल अवधि मे जलस्तर कम होने पर रेत का उत्पादन किया जा सकता है।*"

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान के लीज क्षेत्र से विगत 03 वर्षों में रेत का उत्पादन शून्य है। लीज एरिया महानदी पर स्थित है एवं पत्र में उल्लेख अनुसार निरीक्षण के सामय जल भराव होना पाया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि रेत खदान पानी में डूबे होने की स्थिति में खनन कार्य करना संभव नहीं है एवं विगत 03 वर्षों में रेत का उत्पादन शून्य रहा है अतः ऐसी स्थिति में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।

2. Case No P2/394/2024 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.800 Hectare, Khasra No.- 911, in Village - GHUNAUR-1 , Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 40320 cum per annum [478541] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 764th A SEAC Meeting dated 05-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS खनिज अधिकारी से वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP's representative from M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava. PP submitted the Mining Officer's letter regarding sand availability & Geo tagged photographs of the proposed site.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- कटनी (मध्य-प्रदेश) का पत्र कमांक 1837 दिनांक 21/04/2025 प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि " *घुन्नौर-1, खसरा क्रमांक 911, रकवा - 2.80 हेक्टे. , खदान क्षेत्र के Geotag फोटो संलग्न । निरीक्षण के समय जल भराव होना पाया गया है। ग्रीष्मकाल अवधि मे जलस्तर कम होने पर रेत का उत्पादन किया जा सकता है।"*

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान के लीज क्षेत्र से विगत 03 वर्षों में रेत का उत्पादन शून्य है। लीज एरिया महानदी पर स्थित है एवं पत्र में उल्लेख अनुसार निरीक्षण के सामय जल भराव होना पाया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि रेत खदान का कुछ भाग पानी में नहीं डूबा है अतः ऐसी स्थिति में डूबे हुये लीज क्षेत्र को छोड़कर 1.0 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा उपलब्ध

खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 24,000 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 24,000 cum per annum.

2. Mining operation shall be carried out as per given below proposed actual mining area with justifying sand quantity considering depth mentioned in the DSR as well as mining plan.

Area (Ha)	Minable Area	Area (m^2)	Thickness of Mineral (in M)	Volume (in m^3)	Proposed Production of Sand (in m^3
2.80	1.68	16800	2.4	40,320	40,320
TOTAL					40,320

3. budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 6,95,300 as capital and Rs. 4,11,380 as recurring has proposed by PP.

4. As proposed, a minimum of 2016 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

5. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	सी.ई.आर मद से पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम घुनौर –1 के शासकीय प्राथमिक शाला के बैंक खाते में राशि शाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,10,000
Total		1,10,000

3. Case No P2/464/2024 OMKAR DUBEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 108, 01, 01, in Village - KHAMI-CHHAPARA-ATRI , Tehsil - Barghat, District - Seoni (MP), Maximum Production - 6000 cum per annum [478571] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 764th A SEAC Meeting dated 05-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS खनिज अधिकारी से वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Omkar Prasad Dubey, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's letter regarding sand availability and Previous Sand Production. & Geo tagged photographs of the proposed site.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 405/Khanij/Ret/2025, Seoni, Dated 04.04.2025 regarding regarding sand availability and Previous Sand Production & Geo tagged photographs of the proposed site.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- सिवनी (मध्य-प्रदेश) का पत्र क्रमांक 405 दिनांक 04/04/2025 के माध्यम से बताया कि लेख है कि *ग्राम खामी छपारा-अतरी, ग्राम पंचायत क्रमशः खामी-छपारा-अतरी, प०ह०नं० क्रमशः* 21, 26, *एवं* 25 *रा०नि०म० बरघाट, तहसील बरघाट जिला सिवनी के ख०नं० कमशः* 108, 1 *एवं* 1 *का रकबा कक्रमशः* 10.08 *हे*0 *में से* 2.00 *हे*0, 7.23 *हे*0 *में से* 1.00 *हे*0 *एवं* 5.41 *हेक्ट, में* 1.00 *हेक्ट,क्षेत्र कुल* 22.72 *हे*0 *में से* 4.00 *हे० क्षेत्र पर रेत खदान स्वीकृत है उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत क्षेत्र में रेत का उत्खनन कार्य होना नहीं पाया गया । स्वीकृत क्षेत्र में*

खनिज बजरी रेत उपलब्ध है । वर्तमान में नदी क्षेत्र का अधिकांश भाग शुष्क है । जी.पी.एस. सहित फोटोग्राफ लिये गये हैं। कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार विगत वर्षों में ई०सी० के विरूद्ध निम्नानुसार मात्रा में रेज निकाली गई है:-

वर्ष	ई०सी० के आधार पर प्रस्तावित मात्रा घ०मी० में	निकाली गई मात्रा घ०मी० में
2020-2021	10000	9975
2021-2022	10000	0
2022-2023	6000	0

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान निर्माणाधीन रोडब्रिज (स्पान 60 मी.) की दूरी 202 मी. है जिसके परिप्रेक्ष्य में 600 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है अतः ऐसी स्थिति में गैर खनन क्षेत्र 2.57 हे एवं 1.42 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा उपलब्ध खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 3563 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 3,563 cum per annum.

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs 7,83,000 as capital and Rs. 3,95,400 as recurring has proposed by PP.

3. As proposed, a minimum of 2880 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

4. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	ग्राम पंचायत भवन के निर्माण कार्य हेतु 80,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	80,000
Total		80,000

4. Case No P2/463/2024 OMKAR DUBEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 5.000 Hectare, Khasra No.- 265, 01, in Village - BAGDONGRI-DEVGAON , Tehsil - Keolari, District - Seoni (MP), Maximum Production - 30000 cum per annum [478645] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 764th A SEAC Meeting dated 05-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा नदी के अप स्ट्रीम में 350 मी. पर एक रोड ब्रिज है। अतः सेन्ड गाईड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS सेन्ड गाईड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये ब्रिज कार्पोरेशन/ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Omkar Prasad Dubey, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's & Bridge Corporation letter Bridge & Geo tagged photographs of the proposed site.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 404/Khanij/Ret/2025, Seoni, Dated 04.04.2025 & Bridge Corporation Letter No. 235/Vi.Li./2024-25, Seoni, Dated – 22.05.2024 regarding Bridge & Geo tagged photographs of the proposed site.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजनाकियान्वयन इकाई सिवनी- 1 जिला सिवनी (म.प्र.) के पत्र कमांक 467 दिनांक 22/05/2024 का पत्र प्रस्तुत किया गया– "उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उक्त मार्गों में स्थित पुल मेजर है तथा निर्मित पुल के 500मी.परिधि के बाहर खदान स्वीकृत कर खनन कार्य तकनीकी रूप से किया जाना उचित होगा।"

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान से डाउनस्ट्रीम में 350 मी. की दूरी पर पक्का रोडब्रिज है (स्पान 60 मी.) जिसके परिप्रेक्ष्य में 600 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है अतः ऐसी स्थिति में गैर खनन क्षेत्र 3.14 हे एवं 1.84 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा उपलब्ध खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 18,493 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 18,493 cum per annum.

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs 8,76,500 as capital and Rs. 4,40,000 as recurring has proposed by PP.

3. As proposed, a minimum of 3600 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

4. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बागडोंगरी–देवगाँव के शासकीय प्राथमिक शाला के बैंक खाते में शाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
Total		1,00,000

5. Case No P2/403/2024 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.030 Hectare, Khasra No.- 122, in Village - GHUGHRI, Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 130086 cum per annum [478777] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 764th A SEAC Meeting dated 05-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS खनिज अधिकारी से वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Sushil Kumar Pathak, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's letter regarding sand availability & Geo tagged photographs of the proposed site & Old EC Letter.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 1837/Khanij/2025, Katni, Dated 21.04.2025 regarding regarding sand availability & Geo tagged photographs of the proposed site & Old EC Letter No. 212/SEIAA/21 Dated – 05.04.2021.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- कटनी (मध्य-प्रदेश) का पत्र क्रमांक 1837 दिनांक 21/04/2025 प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि *घुघरी खसरा क्रमांक* 122 *रकवा* - 8.03 *हेक्टे. , खदान क्षेत्र के* Geotag *फोटो संलग्न । निरीक्षण के समय जल भराव होना पाया गया है। ग्रीष्मकाल अवधि मे जलस्तर कम होने पर रेत का उत्पादन किया जा सकता है। कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार विगत वर्षों में ई०सी० के विरूद्व निम्नानुसार मात्रा में रेत निकाली गई है :-*

वर्ष	विगत तीन वर्षों के उत्पादन का विवरण (घन मी.)
2019-2020	0
2020-2021	43864.16
2021-2022	39214.92

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान के लीज क्षेत्र जून 2024 की गूगल ईमेज में लीज क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत भाग जलमग्न है अतः ऐसी स्थिति में गैर खनन क्षेत्र 3.23 हे एवं 4.80 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा उपलब्ध खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 1,29,600 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand -- 1,29,600 cum per annum.

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 12,09,000 as capital and Rs. 7,15,500 as recurring has proposed by PP.

3. As proposed, a minimum of 5800 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

4. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	ग्राम पंचायत भवन धुधरी के निर्माण कार्य हेतु 1,50,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	1,50,000
2 .	धुधरी गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	50,000
3 .	सी.ई.आर मद से 1,00,000 की रा ि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम धुधरी के शासकीय प्राथमिक शाला के बैंक खाते में शाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
Total		3,00,000

6. Case No P2/448/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 18.770 Hectare, Khasra No.- 01, 158, in Village - GANESHPUR, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 45048 cum per annum [478835] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 764th SEAC Meeting dated 06-06-2024 wherein following query was issued

ADS - परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र कुल 18.770 हेक्टेयर नेवाज नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 640 मीटर पर स्टॉप डेम तथा खनन क्षेत्र के बीचोबीच डेम है । अतःवर्तमान में डेम की क्या स्थिति है तथा सेन्ड गाईड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा डेम के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Shashikant Tiwari, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's letter & Bridge Corporation Letter.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 475/Khanij/2025, Rajgarh, Dated 15.04.2025 regarding regarding Bride & Bridge Corporation Letter No. 873/Tak/2025 Dated – 08.04.2025 regarding Bride.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान **कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग राजगढ़ (ब्यावर) म०प्र०** का पत्र क्रमांक 873 दिनांक 08/04/2025 के माध्यम से बताया कि **"प्रस्तावित खदान क्षेत्र नेवज नदी पर विभाग द्वारा निर्मित गणेशपुरा बैराज संरचना (म.प्र.गौण खनिज अधिनियम *1996* अनुसार) से अनुमत्य दूरी पर होने से विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं है।"**

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान से दक्षिण दिशा में 640 मी. की दूरी पर स्टापडेम है (स्पान 160 मी.) जिसके परिप्रेक्ष्य में 1.0 कि.मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है एवं लीज क्षेत्र के बीच में एक स्टापडेम स्थित है जसके परिप्रेक्ष्य में स्टापडेम के दोनो ओर 500 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है अतः ऐसी स्थिति में गैर खनन क्षेत्र 11.12 हे एवं 7.02 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा उपलब्ध खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 28,150 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 28,150 cum per annum.

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 16,30,000 as capital and Rs. 4,17,880 as recurring has proposed by PP.

3. As proposed, a minimum of 13500 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

4. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	सी.ई.आर मद से पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गणेशपुरा के शासकीय प्राथमिक शाला के बैंक खाते में शाला विकास कार्य हेतु राशि भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,70,000
Total		1,70,000

7. <u>Case No P2/456/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.800 Hectare, Khasra No.- 01, 351/355, in Village - ATAIKHEDA DHATURI, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 9600 cum per annum [479056] (Query Reply) (EIA)</u>

Earlier this case was discussed in 764th SEAC Meeting dated 06-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 10.800 हेक्टेयर नेवाज नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की⁄स्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमल प्रस्तुत की गई जिसमें उत्तर दिशा में 78 मीटर पर ब्रिज एवं उत्तर–दक्षिण में स्टॉप डेम है? नियत दूरी छोड़ने पर पूरी खदान समाप्त हो रही है । अतःवर्तमान में डेम की क्या स्थिति है तथा सेन्ड गाईड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा डेम के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ADS

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Shashikant Tiwari, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's letter & Bridge Corporation Letter.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 475/Khanij/2025, Rajgarh, Dated 15.04.2025 regarding regarding Bride & Bridge Corporation Letter No. 873/Tak/2025 Dated – 08.04.2025 regarding Bride.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान **कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग राजगढ़** (ब्यावर) **म०प्र०** का पत्र क्रमांक 907 दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से लेख किया गया है कि **"प्रस्तावित खदान क्षेत्र नेवज नदी पर विभाग द्वारा निर्मित धतूरी बैराज संरचना (म.प्र. गौण खनिज अधिनियम** 1996 **अनुसार) से अनुमत्य दूरी पर न होने से विभागीय आपत्ति है। अतः प्रस्तावित खदान लोकेशन पर खनन हेतु अनुमति दिया जाना अनुचित है। नवीन खदान लोकेशन धतूरी बैराज से** 100 **मीटर दूरी पर प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।"**

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान से पूर्वी दिशा में 20 मी. की दूरी पर स्टापडेम एवं पक्का रोडब्रिज 75 मी. पर एवं लीज का पश्चिमी क्षेत्र से एक स्टापडेम लगा हुआ है जिसके परिप्रेक्ष्य में 1.0 कि.मी. का गैर खनन क्षेत्र छोडने पर खनन योग्य क्षेत्र शेष नहीं बचता है। अतः ऐसी स्थिति में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।

8. Case No P2/461/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.130 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - ARANYA, Tehsil - Jirapur, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 10800 cum per annum [479095] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 8.130 हेक्टेयर चापी नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें दक्षिण दिशा में 35 मीटर की दूरी पर ब्रिज है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ''खनन क्षेत्र में ब्रिज, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख–रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत'' प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Shashikant Tiwari, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's letter & Bridge Corporation Letter.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 475/Khanij/2025, Rajgarh, Dated 15.04.2025 regarding regarding Bride & Bridge Corporation Letter No. 873/Tak/2025 Dated – 08.04.2025 regarding Bride.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई राजगढ़ बायपास रोड राजगढ़ (म.प्र.) का पत्र कमांक 514 दिनांक 11/04/2025 के माध्यम से लेख किया गया है कि **"ग्राम अरन्या तहसील जीरापुर :- ग्राम अरन्या में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत निर्मित रामगढ से अरन्या मार्ग पर स्थित पुल के मध्य से 500 मीटर की परिधी के बाहर उत्खनन करने पर इस कार्यालय को आपत्ती नही है।"**

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान से उत्तर पूर्वी दिशा में एक रोडब्रिज 1.0 कि. मी. की दूरी पर है एवं लीज के बीच में एक स्टापडेम कम रोडब्रिज स्थित है (स्पान 60 मी.) जिसके परिप्रेक्ष्य में 500 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है अतः ऐसी स्थिति में गैर

खनन क्षेत्र 6.13 हे एवं 2.0 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा उपलब्ध खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 8,000 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 8,000 cum per annum.

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 5,36,000 as capital and Rs. 2,36,800 as recurring has proposed by PP.

3. As proposed, a minimum of 3300 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

4. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	सी.ई.आर मद से 50,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम अरन्या के शासकीय प्राथमिक शाला के बैंक खाते में शाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	50,000
Total		40,000

9. <u>Case No P2/454/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 11.122 Hectare, Khasra No.- 317, 373, 374, in Village - DABDI , Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 26692 cum per annum [479215] (Query Reply) (EIA)</u>

<u>Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein following query was issued</u>

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 11.12 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, अतः परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ईसी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे। ADS

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Shashikant Tiwari, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's letter & Geotagged Photographs of proposed mine.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 475/Khanij/2025, Rajgarh, Dated 15.04.2025 regarding regarding Bride & Geotagged Photographs of proposed mine.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ (म.प्र.) का पत्र कमांक 425 दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से बताया कि **"उक्त खदान वर्ष *2020* से संचालित नही है। डाबड़ी रेत खदान का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में खनन क्षेत्र में वर्तमान में पानी भरा हुआ पाया गया है। जियोटेग फोटोग्राफ लिये गये। *26692* घन मीटर खनन योग्य मात्रा अनुमोदित खनन योजना में दर्शाई गई है। जियोटेक फोटोग्राफ संलग्न है।"**

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान से दक्षिण दिशा में एक रोडब्रिज 738 मी. (स्पान 135 मी.) की दूरी पर है जिसके परिप्रेक्ष्य में स्पान का पॉच गुना गैर खनन क्षेत्र छोड़ने पर गैर खनन क्षेत्र 4.84 हे एवं 6.27 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा उपलब्ध खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 25,000 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 25,000 cum per annum.

2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 11,75,000 as capital and Rs. 4,11,800 as recurring has proposed by PP.

3. As proposed, a minimum of 8000 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

4. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	सी.ई.आर मद से 1,30,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम डाबडी के शासकीय प्राथमिक शाला के बैंक खाते में शाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,30,000
Total		1,30,000

10. Case No P2/449/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.750 Hectare, Khasra No.- 79, in Village - JATIAKHEDA, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 21000 cum per annum [479247] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 8.750 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2021 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे । ADS

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Shashikant Tiwari, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer's letter & Bridge Corporation Letter

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 475/Khanij/2025, Rajgarh, Dated 15.04.2025 regarding regarding Bride & Bridge Corporation Letter No. 873/Tak/2025 Dated – 08.04.2025 regarding Bride.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 475 दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से लेख किया गया है कि **"उक्त खदान वर्ष *2020* से संचालित नही है। जातियाखेड़ी रेत खदान का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में खनन क्षेत्र में पानी नहीं भरा हुआ पाया गया है। जियोटेग फोटोग्राफ लिये गये। *21000* घन मीटर खनन योग्य मात्रा अनुमोदित खनन योजना में दर्शाई गई है। जियोटेक फोटोग्राफ संलग्न "**

प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि अक्टूबर 2024 की गूगल ईमेज में लीज क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है। प्रस्तुतीकरण के दौरान स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि रेत खदान पानी में डूबे होने की स्थिति में खनन कार्य करना संभव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।

11. Case No P2/685/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for BAGHWADA -2 SAND MINE in area of 16.667 Hectare, Khasra No-352/340 in Village -Baghwada, Tehsil-Budhni, District -Sehore (MP), Maximum Production-300006 cum per annum [521187] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका–टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल–पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & Revised CER & GP NOC

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025 & Revised CER & GP NOC .

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 74,822 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 20/02/2024 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 14/06/2027 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 14/06/2027 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 74,822 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 3,00,006 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी अमेन्टमेंट के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

12. Case No P2/660/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for SARDARNAGAR SAND MINE in area of 16.187 Hectare, Khasra No- 893/852, 852 in Village -Sardarnagar, Tehsil-Budhni, District -Sehore (MP), Maximum Production-291366 cum per annum [521164] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त 05 कोर्डीनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1 खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।

2 प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।

3 खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

4 सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका–टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल–पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & MO Letter for Coordinate updated in DSR & Revised Surface Map & Revised CER

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025& MO Letter No.2054, Dated – 17.04.2025 regarding Coordinate updated in DSR & Revised CER & GP NOC .

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 2,16,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 20/02/2024 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 14/06/2027 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 14/06/2027 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 2,16,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 2,91,366 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

13. **Case No P2/666/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for JANWASA-2 SAND MINE in area of 20.00 Hectare, Khasra No- 155/1/1 in Village -Janwasa, Tehsil-Budhni, District -Sehore (MP), Maximum Production-360000 cum per annum [519914] (Query Reply) (EIA)**

Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त 01 कोर्डीनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1 खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2 प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3 सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & MO Letter for Coordinate updated in DSR & Revised CER

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025& MO Letter No.2054, Dated – 17.04.2025 regarding Coordinate updated in DSR & Revised CER .

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 1,20,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 03/10/2023 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 18/02/2026 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 18/02/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 1,20,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 3,60,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

14. Case No P2/663/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for MAHUKALA SAND MINE in area of 20.995 Hectare, Khasra No- 263/2/2 in Village -Mahukala, Tehsil-Budhni, District -Sehore (MP), Maximum Production-377910 cum per annum [520099] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त 08 कोर्डीनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:–

1 खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2 प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3 खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4 सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका–टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल–पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & MO Letter for Coordinate updated in DSR & Revised Surface Map & Revised CER

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025& MO Letter No.2054, Dated – 17.04.2025 regarding Coordinate updated in DSR & Revised Surface Map & Revised CER.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 1,99,329 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 20/02/2024 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 14/06/2027 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 14/06/2027 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 1,99,329 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 3,77,910 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

15. Case No P2/672/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for DIMAWAR SAND MINE in area of 23.170 Hectare, Khasra No- 508/505 & 509/506 in Village -Dimawar, Tehsil-Nasrullaganj, District -Sehore (MP), Maximum Production-417060 cum per annum [520060] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त 08 कोर्डीनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका–टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल–पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & MO Letter for Coordinate updated in DSR & Revised Surface Map & Revised CER

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025& MO Letter No.2054, Dated – 17.04.2025 regarding Coordinate updated in DSR & Revised Surface Map & Revised CER .

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 2,30,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 03/10/2023 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 18/02/2026 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 18/02/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 2,30,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 4,17,060 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।
समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

16. <u>Case No P2/668/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for JAJNA SAND MINE in area of 12.0140 Hectare, Khasra No- 245 in Village -Jajna, Tehsil-Rehti, District -Sehore (MP), Maximum Production- 218520 cum per annum [519946] (Query Reply) (EIA)</u>

<u>Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued</u>

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1 खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2 प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3 खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4 परिवहन मार्ग पर पौधारोपण प्रस्तावित करते हुये संशोधित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करें।
5 सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका–टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल–पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & MO Letter for Coordinate updated in DSR & Revised Surface Map& Revised Plantation & Revised EMP & Revised CER

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025& MO Letter No.2054, Dated – 17.04.2025

regarding Coordinate updated in DSR & Revised Surface Map& Revised Plantation & Revised EMP & Revised CER .

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 71,760 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 03/10/2023 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 18/02/2026 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 18/02/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 71,760 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 2,18,520 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।
समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

17. <u>Case No P2/671/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for JAHAJPURA-1 SAND MINE in area of 15.801 Hectare, Khasra No- 241 in Village -Jahajpura, Tehsil-Rehti, District -Sehore (MP), Maximum Production-284418 cum per annum [520031] (Query Reply) (EIA)</u>

<u>Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued</u>

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1 खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2 खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
3 परिवहन मार्ग पर पौधारोपण प्रस्तावित करते हुये संशोधित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करें।
4 सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका–टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल–पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & Revised Surface Map & Revised Plantation & Revised EMP & Revised CER

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025& Revised Surface Map & Revised Plantation & Revised EMP & Revised CER.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 72,850 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 03/10/2023 को जारी की

गई जो कि वर्तमान में दिनांक 18/02/2026 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 18/02/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 72,850 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 2,84,418 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

18. Case No P2/675/2024 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for BABRI-2 SAND MINE in area of 20.50 Hectare, Khasra No-363/1 in Village-Babri, Tehsil-Rehti, District -Sehore (MP), Maximum Production-369000 cum per annum [520102] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 780th SEAC Meeting dated 27-03-2025 wherein following query was issued

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त 23 कोर्डीनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के
आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1 खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षो से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2 प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3 खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4 सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका–टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल–पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the latest Rainfall Data & MO Letter for coordinate update in DSR & Revised Surface Map & Revised CER .

During presentation PP submitted the latest Rainfall data letter No. Ret/Sambhagiy Karyalay/2025/07, Dated 09.04.2025& MO Letter No. 2054, Dated 17.04.2025 for coordinate update in DSR & Revised Surface Map & Revised CER.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 2,05,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 03/10/2023 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 18/02/2026 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 18/02/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 2,05,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 3,69,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है।
समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

19. Case No. P2/1334/25, M/s R.K.A STONES, Prop. Shri Nilesh Agrawal, R/o: Sai Aashiyana, Suyog Colony, Vikas Nagar Betul Tehsil & District Betul, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Nayakcharsi Stone Quarry in an area of 1.930 ha., [Stone-26,000m³/year], (Khasra No. 152/1, Village-Nayakcharsi, Tehsil- Betul, District- Betul (M.P.) (Fresh -B2).

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23.05.2025 को परियोजना प्रस्तावक आर. के. ए स्टोन्स प्रो नीलेश अग्रवाल पिता श्री जगदीश अग्रवाल ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलहाकार श्री राम राघव, सुपर टेक एन्वायरमेन्टल सर्विसेज भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	आर.के.ए स्टोन्स प्रो. नीलेश अग्रवाल निवासी निवासी साईं आशियाना सुयोग कॉलोनी, विकास नगर तहसील व् जिला बैतूल (म.प्र.)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 152/1 निजी भूमि	1.930 हेक्टेयर
स्थल	गॉव– नायक चारसी तहसील व् जिला बैतूल, (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा)जिला बैतूल मध्य प्रदेश के पत्र कमांक / खनिज–1 / 2024 / 1712 बैतूल दिनांक 22 / 10 / 2024 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी–2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही है।	
टॉर	लागू नही है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा – 26,000 घनमीटर / वर्ष पत्थर हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 26,000 घनमीटर / वर्ष पत्थर है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र कमांक / खनिज 1 / 2025 / 544 बैतूल दिनांक 03.04.2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदान जिसका रकबा 2.00 हेक्टेयर स्वीकृत है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र कमांक / खनिज 1 / 2025 / 544 बैतूल दिनांक 03.04.2025 के अनुसार उक्त स्वीकृत क्षेत्र से वन सीमा की दूरी 451 मी है ।	

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र कमांक /खनिज 1 /2025/544 बैतूल दिनांक 03.04.2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान /नदी / तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर नहीं है । कच्चा रास्ता एवं पक्का रास्ता 500 मी की परिधि में स्थित है शेष स्थल 500 मी की परिधि के बाहर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दीवान चरसी जिला बैतूल के प्रस्ताव कमांक 01 दिनांक 16.08.2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	क्रशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खनन योग्य क्षेत्र में वृक्षों की संख्या 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पक्की सड़क खदान क्षेत्र से उत्तर पश्चिमी दिशा में 412 मीटर एवं पूर्वी दिशा में 410 मीटर पर स्थित है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है।
जन सुनवाई	लागू नही है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया :–

- प्रस्तावित उत्खनिपट्टा बैतूल जिले की ग्राम (नायकचरसी) में स्वीकृत किया गया है यह ग्राम पेसा ग्राम के अंतर्गत नहीं आता है ।
- उत्खनिपट्टे की भूमि यूको बैंक में बंधक नहीं है।

After deliberations and the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence, **the case is recommended for grant of Environment Clearance for Nayakcharsi Stone Quarry in an area of 1.930 ha. [Stone-26,000 m^3/year] (Khasra No. 152/1), Village- Nayakcharsi, Tehsil- Betul, District- Betul (M.P.) With Standard and following specific conditions with Annexure "A":**

- As per the approved mining plan, the production capacity is **Stone - 26,000m^3/year.**
- Under the plantation program, **2320** plants will be planted.
- Under the Environmental Management Plan, a capital expenditure of Rs. 6.18 lakh and a recurring expenditure of Rs.1.61 lakh per year.
- An amount of Rs.1.0lakh has been allocated for CER activities-

CER activities		
1.	2.0kW capacity solar panel system will be installed at the aganwadi kendra located in Village Nayakcharsi & whitewash of the building.	1,00,000/-
	Total	**1,00,000/-**

20. Case No P2/349/2024 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand mine 3.000 Hectare, Khasra No.- 261, in Village - PIPLA KANHAN, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 24480 cum per annum [534765] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार विधा भूषण त्रिवेदी/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 261 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.00 हे.
स्थल	ग्राम – पिपला कन्हान, तहसील –सौसर, जिला – छिन्दवाडा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के लिऐ आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पिपला कन्हान रेत खदान, दिनांक –24/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पिपला कन्हान रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड	

	टॉर दिनांक 12/05/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 24,480 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 24,480 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाडा के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 1410 दिनांक 05/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 3.00 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाडा के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 1410 दिनांक 05/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर की परिधि में कोइ वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाडा के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 1410 दिनांक 05/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन ील क्षेत्र जैसे– रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपला कन्हान जिला छिन्दवाडा के अनापत्ती पत्र कमांक – 23, दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	कन्हान नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	21/04/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–53 के सरल क्रमांक–30 एवं पेज नं.–45 के सरल क्रमांक–56 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 19/05/2025, को संपन्न हुई । आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

During presentation the Env. Consultant stated that for this lease area 10 coordinates are added. Committee observed that Government of India Ministry of Jal Shakti Dept. of Water Resources, RD&GR Central Water Commission Upper Wainganga Sub-Division, Nagpur vide letter no.273 dated 18.03.2025 has raised objection during public hearing as mentioned under :-

"केंद्रीय जल आयोग वर्ष 1986 से स्थल रामकोना में जल स्तर एवं निस्सारण का कार्य कर रहा है। इन मापों सेप्राप्त डेटा का उपयोग बाढ़ पूर्वानुमान, पूरे वर्ष जल उपलब्धता का आकलन,और राज्य की विभिन्न सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं की फिजिबिलिटी, डिजाइन और संचालन में किया जाता है। यह कार्य जन कल्याण और जल संसाधन प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जल स्तर एवं निस्सारण मापन स्थल के समीप (1 कि.मी.दोनों तरफ) रेत उत्खनन किया जाता है,तो मापन से प्राप्त डेटा की सटीकता प्रभावित होने की संभावना है। रेत खनन के कारण होने वाले नदी तल परिवर्तन से मापन के पश्चात् प्राप्त डेटा अविश्वसनीय हो सकता है। इस डेटा के आधार पर किए गए बाढ़ पूर्वानुमान और योजनाएं त्रुटिपूर्ण हो सकती हैं। अतः, आपसे निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए जा रहे जल स्तर मापन कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए,मापन स्थल के आसपास (1 कि.मी.दोनों तरफ) रेत खनन की अनुमति देने से पहले सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। "

After presentation the committee asked following information for further consideration of the project:

- Mentioned additional co-ordintes duly varified by District Mining Officer.
- To reply properly point-wise for TOR Compliance and make necessary corrections as suggested during meeting in the EIA report.
- The EIA report page no. 06 Chapter I and "impact on income "reveals different data for no. of workers to be engaged and also no. of working days. Also in social survey reference for World Bank report 2005 is mentioned, it needs updation. The EIA report page no. 85 Chapter III there is mention for "stone crushing" where as this activity is not a part of this project. The EIA report Page no. 116 / Chapter VI in the matter of soil quality there is mentioned about CPCB Norms, please explain.As per EIA report Kanhan Village is at 90 meter

East and Chauragarh Shivalaya is 0.120 KM East , why AAQ and Noise monitoring stations are not selected at these sensitive places.

- To addreess issue raised during Public Hearing by Central Water Commission Upper Wainganga Sub-Division, Nagpur vide letter no. 273 dated 18.03.2025 with appropriate set back showing non- mining area and mineable area.
- Revised EMP & Plantation Scheme.

21. Case No P2/1335/2025 Shri Hanuman Stone Crusher Prop: Shri Ankush Rai , S/o. Shri Anil Rai, R/o. Ward no. 19 Pipariya , Tehsil- Pipariya, District- Narmdaouram (MP) Prior Environment Clearance for for proposed Stone (Gitti and M-Sand) quarry located at Khasra No. 109/1 and 109/2, Village- Mansingpur, Tehsil Shahpur, District Betul, Madhya Pradesh for production of Average Stone (Gitti)- 10,500 M3 per year, and M-Sand – 4,500 M3 per year an area of 1.00 Ha located at Village – Mansingpur, Tehsil- Shahpur, District – Betul [521050] (B2)

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री हनुमान स्टोन क्रेशर प्रो. श्री अंकु ा राय पिता श्री अनिल राय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण रू.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Shri Hanuman Stone Crusher Pro. Shri Ankush Rai S/o- Shri Anil Rai R/o- Ward no.-19, Pipariya, Tehsil- Pipariya, District- Narmdapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	109/1 & 109/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.0 hectare.
स्थल	Village - Mansingpura, Tehsil - Shahpur, District - Betul (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतुल के पत्र क्रमांक 315 दिनांक 29/02/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृित क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष– 29/05/2024 क्षमता– 15,000 घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा–15,000 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डी.एस.आर
	हॉ	डी. एस. आर अपडेट होने पर खदान जोड ली जावेगी
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी–2।
डिया / सिया, ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–15000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15000 घनमीटर / वर्ष (पत्थर– 10500 घनमीटर / वर्ष एवं एम–सेण्ड – 4500 घनमीटर / वर्ष) है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतुल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 845 दिनांक 31 / 05 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी– 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतुल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 845 दिनांक 31 / 05 / 2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क / अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतुल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 845 दिनांक 31 / 05 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सालीमेट जिला बैतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 02 / 10 / 2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज क्षेत्र में लगभग 10 पेड प्रस्तावित है। जिसमे हमारे द्वारा कोई पेड काटा नही जायेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में कच्चा रोड है। जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर हैं।
	पश्चिम दिशा – लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पक्का रोड है। जिसकी दूरी लगभग 116 मीटर है। और उत्तर–पश्चिम दिशा में मानव बसाहट लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दिशा– पचिम दिशा मे पक्का रोड लगभग 116 मी. पर स्थित

	है, इस प्रकार 84 मी. का सेटबेक दिया गया हैं।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/05/2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडी जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :–

1. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**
   Apart from other facts mention carbon footprint amount, in case of building fire expenditure, STF budged, solar power amount, water fogging machine in mining/curser area, in other specific provisions.

Capital Cost	Recurring Cost
6.89 Lakhs (Approx)	1.18 Lakhs

2. **CER Table**

As per local needs during public hearings.

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉं	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 2,10,000 की राशी शासकीय प्राथमिक शाला मानसिंगपुरा मे छात्र/छात्राओं के लिये 60 कुर्सी–टेबल के सेट हेतु जमा की जावेगी।	**2,10,000/-**

3. **Plantation in other area.**

   निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं0	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलता ा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू,	100

		आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
		योग	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु :–

- Member Secretary SEAC informed that fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- The PP shall obtain necessary permissions from MPPCB as per prevailing Water, Air Acts, and Member Secretary shall farward the case to MPPCB for necessary action till arrangement are not available on Parivesh Portal.

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल क्रेशर /एम–सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. **क्रशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

40. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू–स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**

1. **<u>क्षतिपूर्ति के संबंध में:–</u>**
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

<u>Annexure- 'B'</u>

<u>Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*</u>

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.

10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Minable Potential of sand mine.
    e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.

iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37ण As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।